न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 109/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2015/ 00039)

शांति पुत्री धनपत जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। **अपीलान्ट**

बनाम

1. जगदीश दत्तक पुत्र धनपत जाति जाट साकिन निरवाल तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. रामप्यारी पुत्री धनपत पत्नी लूणाराम जाति जाट साकिन रामपुरा हाल साकिन बणी तहसील राणीया जिला सिरसा (हरियाणा) जरिये मुख्त्यारआम बलदेव सिह पुत्र लूणाराम जाति जाट साकिन बणी तहसील राणियां जिला सिरसा।
3. रामश्वरी पुत्री धनपत पत्नी सुरजाराम जाति जाट साकिन न्यौलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर। **रेस्पोडेन्टस**

उपस्थित :–
श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक अपीलांट
श्री विजय कुमार पारीक – रेस्पोडेन्ट संख्या 1
श्री मेघाराम गोदारा – रेस्पोडेन्ट संख्या 3
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक 20–10–2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 27–10–2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जगदीश ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर मे अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत मटोरिया के द्वारा जो इन्तकाल नम्बर 93 दिनांक 22.3.99 को अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये, इकतरफा कार्यवाही द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किया गया है वह गैर कानूनी एवं विधि

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरूद्व है उसे खारिज फरमाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–10–2015 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जगदीश की अपील आंशिक स्वीकार कर ग्राम पचायत रामपुरा मटोरिया के द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 93 दिनांक 22.03.99 खारिज कर दिया तथा तहसीलदार राजस्व रावतसर को रिमाण्ड कर उभय पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर देकर पुनः नामान्तकरण तस्दीक की कार्यवाही करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जरिये रजिस्ट्र्ड सम्मन सूचित किये जाने के बाद भी उपस्थित नही हुवे ।

4. रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर दिनांक 05.12.2016 को अपील मेन्टेनेबल नही होने की आपत्ति पेश की, अपीलान्ट के अभिभाषक ने दिनांक 12.09.2017 को जवाब प्रस्तुंत किया। दिनांक 23.07.2019 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से प्राथमिक आपत्ति अपील सारहीन होने की पेश की, अपीलान्ट के अभिभाषक ने दिनाक 04.09.2019 को जवाब प्रस्तुंत किया। वरवक्त अन्तिम बहस इन दोनो प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो पर अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 के पिता धनपत के नाम चक 3 एन.डब्ल्यू.डी तहसील रावतसर में 145 बीघा भूमि सन् 1955 से पूर्व की थी जिसका वह एक मात्र मालिक व काबिज था। उक्त भूमि मे उसके भाई रामप्रताप एवं जसराम के वारिस पुत्र रामकिशन का कोई हक न होते हुए भी गलत ढंग से खाता तकसीम करा लिया। अपीलान्ट के पिता धनपत के द्वारा जगदीश को गोद लेना बताया है जबकि न तो धनपत ने

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जगदीश को गोद लिया था और न ही खोलानामा कानून के मुताबिक सही है। जगदीश रामप्रताप का पुत्र हैं। रामप्रताप के एक ही पुत्र जगदीश है जिसे कानून के मुताबिक गोद नही दिया जा सकता। गोद लेने हेतु, गोद लेने वाले व्यक्ति और उसकी पत्नी की सहमति आवश्यक है, घनपत की पत्नी जीवित होते हुए भी गोदनामे पर उसके हस्ताक्षर नही है। जगदीश के खोलानामा को सिविल न्यायालय में चुनौती दे रखी है। जब तक हाई कोर्ट से गोदनामे के सम्बन्ध में कोई निर्णय नही हो जाता तक इंतकाल नं. 93 जैर अपील मे कोई परिर्वतन नही किया जाना चाहिए। आराजी जैर अपील का इन्तकाल अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 के हक में सही दर्ज किया गया है। अदालत मातहत ने राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में जैरकार मामले को पृथक मानने में भी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट जगदीश धनपत की आराजी जैर अपील में कोई हक रखता ही नही है तो उसे सुनवाई का अवसर देने का आदेश अदालत मातहत ने दिया है वह उचित नही है। जगदीश ने अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर अपील पेश की थी जिसे मियाद मे मानने की गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2015 खारिज फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने यह अपील रिमाण्ड प्रकरण के विरूद्व पेश की है जो मेन्टेलेबल नही है। अपीलान्ट ने रिमाण्ड प्रकरण तहसीलदार रावतसर के समक्ष उपस्थित न होकर सीधे ही अपील इस न्यायालय में पेश की है जो खारिज योग्य है। जगदीश का गोदनामा रजिस्ट्र्ड है जो आज 60 वर्ष हो चुके है। आज तक किसी न्यायालय ने खारिज नही किया है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने स्थगन चाहा जिसे संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 23.12.2015 को अपीलान्ट का स्थगन प्रार्थना पत्र

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खारिज कर दिया। रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार ने इन्तकाल संख्या 93 को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए इन्तकाल संख्या 222 एवं 227 को दर्ज कर दिया, जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने अति. जिला कलक्टर नोहर में दोनो इन्तकालो के विरूद्व अपील पेश की। अति. जिला कलक्टर नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2018 द्वारा अपीलान्ट की दोनो अपीले खारिज कर दी। अति. जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 26.04.2018 के विरूद्व अपीलान्ट ने इस न्यायालय में दो अपीले पेश कर रखी है, जिनके अपील संख्या 30/2018 एवं 31/2018 शांति बनाम जगदीश के नाम से है जिसमे बहस हो चुकी है। अतः रिमाण्ड प्रकरण में निर्णय हो चुका है । यह अपील सारहीन हो चुकी है। इसे खारिज किया जावे।

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया।

यह अपील उपखण्ड अधिकारी रावतसर के निर्णय दिनांक 27.10.2015 में पारित निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय के द्वारा ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया के द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण सं. 93 दिनांक 22.03.1999 को निरस्त किया गया है। उक्त निर्णय का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता कि नामान्तकरण सं. 93 दिनांक 22.03.1999 के विरूद्व करीब 15 वर्ष बाद अपील पेश की गई जबकी नामान्तकरण सं. 93 अपीलान्ट के हक में भी दर्ज हुआ है, इसके अतिरिक्त अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य वर्षो से नियमित राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर नोहर, राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में विचाराधीन रहे है। जिसकी जानकारी उभय पक्ष को रही है साथ ही अपीलान्ट के दत्तक सम्बन्धी वाद भी माननीय अपर जिलाधीश न्यायालय नोहर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 26.02.2005 में हुआ उक्त निर्णय

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मे नामान्तकरण स. 93 के बारे विस्तृत विश्लेषण किया गया है इस प्रकार यह नही कहा जा सकता की रेस्पोडेन्ट सं. 1 को नामान्तकरण सं. 93 के दर्ज होने की जानकारी नही थी, न्यायालय अपर जिलाधीश नोहर के निर्णय दिनांक 26.02.2005 के पश्चात उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में S B Civil First Appeal No 177/ 2005 आज भी लम्बित है जिसमे आगामी तारीख पेशी 01.12.2021 नियत है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर दिनांक 13.05.2014 को अपर जिलाधीश न्यायालय नोहर में निर्णय दिनांक 26.02.2005 के करीब 9 वर्ष बाद तथा नामान्तकरण दर्ज करने की तिथि से करीब 15 वर्ष बाद पेश की। जैर अपील भूमि के संबध में वारिसान निर्धारण नियमित वाद एवं सिविल वाद के माध्यम से होना है, नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल फिस्कल प्रोसिडिग है। ये विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी प्रकरण मे नियमित वाद विचाराधीन हो तो नामान्तरकरण जेसी फिस्कल कार्यवाही नियमित वाद के निर्णय के अनुरूप होनी चाहिए। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यो से भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर हुबहू चस्पा नही होते है। अपीलान्ट की प्रथम अपील मियाद बाहर थी तथा विरासतन निर्धारण के नियमित वाद राजस्व व सिविल न्यायालयो में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर का निर्णय दिनांक 27–10–2015 अपास्त किया जाता है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहै। निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर